न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी–सांचौर, जिला–जालोर, राज०।
पीठासीन अधिकारी–संजीव कुमार खेदर, आर.ए.एस.

प्रार्थीगण–

1.छतरसिंह पुत्र कालुसिंह
2.पीरसिंह पुत्र अमर्रीगा
3.रांणसिंह पुत्र अमर्रीगा
4.दलपतसिंह पुत्र कालुसिंह
5.पवनीदेवी पत्नी कालुसिंह

जातियॉन–राजपूत, साकिनांन–धानता, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर, राजस्थान।

// ब ना म //

अप्रार्थीगण–

1.वजा पुत्र मोती
2.जामतसिंह पुत्र भलसिंह
3.बाबूसिंह पुत्र भलसिंह
4.झमकूदेवी पत्नी भलसिंह

जातियॉन–राजपूत, साकिनांन–धानता, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर, राजस्थान।

किस्म मुकदमा–251ए. आर.टी.एक्ट

मुकदमा संख्या–02/2023

उपस्थिति–

1.अधिवक्ता श्री इब्राहीमशाह, प्रार्थीगण की ओर से।
2.अधिवक्ता श्री भगवतीप्रसाद बालोत, [illegible] की ओर से।

आदेश दिनांक [illegible]/8/023

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Kheder
Date: 2023.08.04 15:54:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

अदालत हाजा में अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा–251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि गांव–धानता, पटवार हल्का–अरणाय, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर में प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या–63 रकबा–1.41 हैक्टर, खसरा संख्या–64 रकबा–1.11 हैक्टर, खसरा संख्या–84 रकबा–0.06 हैक्टर, खसरा संख्या–85 रकबा–2.35 हैक्टर, खसरा संख्या–83 रकबा–0.01 हैक्टर भूमि आई हुई हैं, जिसमें प्रार्थीगण का कब्जा काश्त व रहवास हैं। उक्त भूमि में आने–जाने हेतु कोई रेकर्डेड रास्ता नहीं हैं। उक्त भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या–79 रकबा–2.41 हैक्टर, खसरा संख्या–80 रकबा–1.25 हैक्टर, खसरा संख्या–82 रकबा–1.32 हैक्टर में से 12 फीट चौडे रास्ते की प्रार्थीगण को आवश्यकता हैं, जिसे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ठ–अ में लाल स्याही से मार्क–ए. से बी. दर्शाया हैं। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास अपने खेत में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं तथा प्रस्तावित खसरा नंबर–79, 80, 82 में से 12 फीट चौडे रास्ते की भूमि प्रार्थीगण के आने जाने के लिए आवागमन की सुविधा हेतु सुलभ, उपयुक्त एवं सर्वोत्तम रूप से नजदीक व सुविधाजनक हैं, इसके अलावा प्रार्थीगण के पास अपने खेत में जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं हैं।

प्रार्थीगण द्वारा पेश किए गए प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री भगवतीप्रसाद ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण ने दिनांक–28.07.2023 को आदेश–12 नियम–6 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि हम दोनों पक्षों के मध्य आपसी समझाईश से राजीनामा हो गया हैं तथा राजीनामा के अनुसार संलग्न नक्शा परिशिष्ठ–ब के अनुसार मौके पर रास्ता कायम कर रेकर्ड में दर्ज कराने हेतु दोनों पक्ष सहमत हैं। दोनों पक्षों द्वारा पेश किए गए प्रार्थना पत्र को शामिल मिसल किया जाकर भूमिधारी तहसीलदार–सांचौर से मौका जांच रिपोर्ट तलब की गई।

भूमिधारी तहसीलदार–सांचौर [illegible] की [illegible] मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त [illegible] नंबर [illegible] आवागमन हेतु पक्षकारांन एवं मौतबिरान [illegible] अनुसार आपसी [illegible] से खसरा [illegible] नंबर–63 रकबा–1.41 नंबर–64 रकबा–1.11 हैक्टर, खसरा [illegible] र्थीगणों की हैं। हैक्टर तथा खसरा नंबर–85 भूमि जो [illegible] प्रार्थीगणों के खसरा नंबर–63, 64 के दक्षिणी गाठ से तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Kheder
Date: 2023.08.04 15:54:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नंबर–85 के उतरी माठ से रास्ता देने की सहमति दी गई हैं। अप्रार्थीगण के खसरा संख्या–82, 80 के उतरी माठ से लगता हुआ 12 फीट रास्ता चाहा गया हैं तथा खसरा नंबर–79 के उतरी–पूर्वी कौने में से 12 फीट रास्ता खसरा नंबर–63 में आवागमन करने हेतु चाहा गया हैं। मौका जांच अनुसार 4 मीटर चौडा रास्ता के हिसाब से खसरा नंबर–85 में से रकबा–0.0448 हैक्टर, खसरा नंबर–82 में से रकबा–0.0304 हैक्टर, खसरा नंबर–80 में से रकबा–0.0248 हैक्टर, खसरा नंबर–79 में से रकबा–0.0016 हैक्टर,खसरा नंबर–63 में से रकबा–0.0384 हैक्टर व खसरा नंबर–64 में से रकबा–0.0336 हैक्टर भूमि की आवश्यकता रहेगी, जिससे खसरा नंबर–48 तक रास्ता होगा। प्रार्थीगणों एवं अप्रार्थीगणों द्वारा आपसी सहमति से रास्ता की भूमि के बदले दोनों पक्षों ने सहमति से मुआवजा राशि नहीं लेने का बताया हैं। मौका जांच रिपोर्ट में आपसी सहमति से पेश किए गए नक्शा परिशिष्ठ–ब अनुसार ही मौका जांच रिपोर्ट पेश हुई हैं, जिस पर दोनों पक्षों को कोई एतराज नहीं हैं।

मैंने उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन एवं अवलोकन किया। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण द्वारा आपसी सहमति से रास्ते की मांग करते हुए रास्ता दर्ज करने हेतु आंदेश देने बाबत आदेश–12 नियम–6 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र मयं नक्शा परिशिष्ठ–ब के पेश किया गया तथा उक्त सहमति के प्रार्थना पत्र के आधार पर भूमिधारी तहसीलदार–सांचौर से मौका जांच रिपोर्ट तलब की गई, जिसके अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के खसरा संख्या–63, 64, 79, 80, 82, 85 में नक्शा परिशिष्ठ–ब के अनुसार 12 फीट चौडा रास्ता दिया जाना उचित मानता हूं। एतदद्वारा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं।

–आदेश–

मौजा–धानता, पटवार हल्का–अरणाय, तहसील–सांचौरं में स्थित खातेदारी भूमि नवीन खसरा संख्या–63 में से रकबा–0.0384 हैक्टर, खसरा संख्या–64 में से [illegible] हैक्टर, खसरा [illegible]या–80 में से [illegible] संख्या–79 में से रकबा–0.0016 हैक्ट[illegible] [illegible]–0.0304 रकबा–0.0248 हैक्टर, खसरा नंबर–82 में [illegible] [illegible]48 हैक्टर भूमि हैक्टर, खसरा संख्या–85 में से [illegible] [illegible]डा रास्ता उक्त अर्थात नक्शा परिशिष्ठ–ब अनुसार 12 [illegible] खातेदारी भूमि में दर्ज करने का आदेश भूमिधारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Kheder
Date: 2023.08.04 15:54:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार-सांचौर को दिया जाता हैं। उक्त रास्ता मौके पर सार्वजनिक उपयोग-उपभोग के काम में आएगा। रास्ते बाबत मुआवजा राशि नहीं लेने की दोनों पक्षों की आपसी सहमति होने के कारण मुआवजा बाबत कोई आदेश पारित नहीं किया जाता हैं।

(संजीव कुमार खेदर)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी-सांचौर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

आदेश आज दिनांक- 1/8/023 को मेरे द्वारा खुल्ले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(संजीव कुमार खेदर)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी-सांचौर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Kheder
Date: 2023.08.04 15:54:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner